राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 21, 2016

सं. एफ. 12(113)एफडी/टैक्स/2015–140 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(113)एफडी/टैक्स/2015–140 दिनांक 08.02.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

" सं. एफ.12(113) एफ.डी./टैक्स/2015–140 जयपुर, दिनांक : 8 फरवरी, 2016

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 219/2015 दिनांक 28.12.2015 के अनुपालन में और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम–2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के खण्ड 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस आदेश में यथा प्रगणित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार, जयपुर में अस्पताल की स्थापना के लिए मैसर्स सी.के.एस. मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उद्यम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पक्ष में निम्नलिखित कस्टमाइज्ड पैकेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पैकेज' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का, इसके द्वारा आदेश करती है, अर्थात् :–

1. **पैकेज के लिए पात्रता.**– उद्यम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पैकेज के अधीन उपलब्ध फायदे प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :–
   (i) उद्यम स्कीम के अधीन यथा उपबंधित समस्त शर्तों को पूरा करेगा जिसमें पात्रता की शर्तें सम्मिलित हैं।
   (ii) उद्यम राज्य में 200 बैड की क्षमता वाले अस्पताल की स्थापना करेगा; और
      (क) 50 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा; और
      (ख) पाँच सौ से अधिक व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करायेगा।

(iii) उद्यम स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के दौरान वाणिज्यिक प्रारंभ करेगा।

टिप्पण : अभिव्यक्ति "विनिधान" और 'नियोजन' का वही अर्थ होगा जो रा.वि. प्रो.स्की.–2014 के अधीन परिभाषित है।

2. **पैकेज के अधीन फायदे :**

क्र. सं.	फायदे की प्रकृति	पैकेज के अधीन फायदे
1.	मूपक की प्रतिपूर्ति	हकदारी प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से सात वर्ष की कालावधि तक अस्पताल की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर के क्रयों पर संदत्त मूपक की रकम की 75% की प्रतिपूर्ति
2.	छूट	(i) अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(28) एफ.डी./टैक्स/2010 पार्ट III–192 दिनांक 24.02.2015 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, राज्य के बाहर से अस्पताल की स्थापना के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये उपस्करों पर प्रवेश कर के संदाय से 75% छूट; (ii) अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(113) एफ.डी./टैक्स/2015–139 दिनांक 08.02.2016 के अधीन 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से 50% छूट।
3.	अन्य फायदे	उपर्युक्त वर्णित फायदों के अतिरिक्त, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित अन्य फायदे उद्यम को, यदि पात्र हो तो, उपलब्ध होंगे।

3. **फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.**– पैकेज के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए उद्यम, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित सुसंगत प्ररूप (प्ररूपों) में, प्ररूप के शीर्ष पर **"आदेश सं. एफ. 12 (113) एफ.डी./टैक्स/2015–140 दिनांक 08.02.2016 द्वारा जारी कस्टमाइज्ड पैकेज के अधीन"** अभिव्यक्ति वर्णित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा। स्कीम के अधीन यथा उपबंधित फायदे प्राप्त करने के लिए रीति और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

4. **निबंधन और शर्तें.**–

इस पैकेज के अधीन फायदे इस शर्त पर उपलब्ध होंगे कि उद्यम ने पाँच सौ से अधिक व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करवाया है।

2/11

5. **राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम–2014 के उपबंधों का लागू होना.–**

(i) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(iii) पैकेज के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम–2014 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. **पैकेज के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को दूर करना.–** इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कोई शिकायत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को ही उसकी नोडल एजेन्सी के माध्यम से निर्दिष्ट की जायेगी। उक्त समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।

10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
12. मैसर्स सी.के.एस. मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव